राज्य सभा

विदाई उद्‌गार- 252 **वां सत्र**

(23 **सितंबर**, 2020)

श्री सभापति: सभा के नेता, माननीय श्री थावर चंद गहलोत जी, विपक्ष के नेता, आदरणीय श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, संसदीय कार्य मंत्री, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के माननीय नेतागण और माननीय सदस्यगण!

आज हम राज्य सभा के 252 वें सत्र का समापन कर रहे हैं। इस सत्र को इस वर्ष की शुरुआत में कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से कई नई विशेषताओं के लिए जाना गया है।

हमें इस सत्र का समापन नियत **अठारह बैठकों** की बजाय उनसे **आठ** बैठक पूर्व ही करना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड महामारी अपने प्रकोप के नौ महीने बाद भी दुनिया भर में मानव जाति को चुनौती दे रही है।

हम असाधारण समय में जी रहे हैं और हमें एक नया सामान्य जीवन जीने के नए तरीके समायोजित करने की आवश्यकता पड़ रही है।

इस सत्र के दौरान हमारी दस बैठकें हुईं, जब इस सभा को छह अलग-अलग स्थानों, अर्थात् संसद के दोनों कक्षों और इस सभा की चार दीर्घाओं से कार्य करना पड़ा जो कि राज्य सभा के इतिहास में अपनी तरह का पहला कार्यकरण था।

इसी तरह ऐसा भी पहली बार हुआ कि जब हमने पिछले सप्ताह के दौरान शनिवार और रविवार को सामान्य अवकाश लिए बिना कार्य किया।

जब हम इस पुनः समायोजन के बारे में सोच रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि माननीय सदस्य इन परिवर्तनों के साथ तालमेल कैसे बैठा पाएंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से अनुकूलन किया है। मैं स्वयं इस नई परिस्थिति के साथ दो दिखावटी सत्रों और अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद परिचित हो पाया हूँ। इस नव प्रयोग को सफल बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से अभिनन्दन करता हूँ।

माननीय सदस्यो!

मैं इस सत्र का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ। इन **दस बैठकों** के दौरान, कुल 25 **विधेयक** पारित किए गए और 6 **विधेयक** पुरःस्थापित किए गए।

इस सत्र के दौरान सभा की उत्पादकता 100.47 **प्रतिशत** रही है। सभा ने 38 **घंटे और** 30 **मिनट** के निर्धारित उपलब्ध समय के विपरीत, वास्तविक रूप से 38 **घंटे और** 41 **मिनट** कार्य किया है।

जबकि दुर्भाग्य से सभा का 3 **घंटे और** 15 **मिनट** का समय व्यवधान के कारण नष्ट हो गया है सभा ने 3 **घंटे और** 26 **मिनट** के अतिरिक्त समय के लिए बैठक की।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले तीन सत्रों के दौरान देखी गई उच्च उत्पादकता नई तरह की सामान्य स्थिति में इस सत्र के दौरान भी जारी रही है।

नतीजतन, **पिछले चार सत्रों की कुल उत्पादकता** 96.13 **प्रतिशत** पिछले पांच वर्षों के दौरान सर्वोत्तम रही।

इन 10 बैठकों के दौरान सरकार के विधायी प्रस्तावों पर चर्चा करने में 22 **घंटे** 3 **मिनट** का समय लगाया गया। यह इस सत्र के दौरान सभा के कुल कार्यात्मक समय का रिकॉर्ड 57 **प्रतिशत** है।

इस सत्र के दौरान कामकाज के लिए बिताई गई समयावधि 1952 के बाद से जब से सभा अस्तित्व में आई के समय के विपरीत सर्वाधिक थी, जब केवल 28 प्रतिशत समय ही सरकार के विधेयकों को दिया गया।

यह इस अद्वितीय सत्र के प्राथमिक उद्देश्य और प्रकृति को भी स्पष्ट करता है जब हमने शून्यकाल को आधे घंटे तक कम करने के अलावा प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया।

विभिन्न विधेयकों पर चर्चा में कुल 198 सदस्यों ने भाग लिया।

प्रश्नकाल कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, इन 10 बैठकों के दौरान सरकार द्वारा कुल 1567 अतारांकित प्रश्नों का लिखित में उत्तर दिया गया।

सदस्यों ने 92 **शून्यकाल** और 66 **विशेष उल्लेखों** के माध्यम से तत्कालिक लोक महत्व के मुद्दों को उठाया जिन पर कुल 4 घंटे और 15 मिनट का समय व्यतीत किया गया, यह सभा के कुल कार्यात्मक समय का 10.99 **प्रतिशत** था।

इसके अलावा, इस महती सभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण मुद्दों विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रकोप और प्रबंधन तथा इसके परिणामों के अलावा, लद्दाख में सीमा पर होने वाले घटनाक्रमों से संबंधित चर्चा की।

संबंधित मंत्रियों ने इन मुद्दों पर विस्तृत वक्तव्य दिया। इन चर्चाओं पर कुल 4 **घंटे** 28 **मिनट** का समय व्यतीत किया गया है जो इस सभा के कुल कार्यात्मक समय का 11.55 **प्रतिशत** है।

माननीय सदस्यो!

हालांकि, यह सत्र उत्पादकता के नजरिये से संतोषजनक रहा है लेकिन इसके साथ ही चिंता के कुछ विषय भी रहे है। हमें भविष्य में बदलाव लाने के लिए इन मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार करने की ज़रूरत है।

इस महती सभा के इतिहास में पहली बार, माननीय उप सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। जिन कारणों से इसे अस्वीकार करना पड़ा मैंने उनका पहले ही उल्लेख किया है।

इस अभूतपूर्व कदम को लेकर सभा में घटित घटनाक्रम, उन सभी लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है जो दिल से इस सभा की महत्ता और गरिमा को बनाए रखते हैं।

मैं उन अप्रिय घटनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से आप सभी से विनम्रतापूर्वक यह सुनिश्चित करने की अपील करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह का अशोभनीय व्यवहार दोहराया न जाए।

मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि 1997 और 2012 में, इस महती सभा ने संकल्प लिया कि सभी सदस्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सभा की गरिमा को बनाए रखेंगे। यदि हम इन संकल्पों का पालन करते हैं, तो सभा में व्यवस्था बनी रहती है, और जब सभा में व्यवस्था होगी, तो सभा उस तरह से कार्य कर सकती है जिस तरह से देश इससे कार्य करने की अपेक्षा करता है। यह सभी सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे सभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें ताकि हम लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें।

मैं पिछले 22 वर्षों से इस महती सभा से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी विधेयकों को शोरगुल के बीच पारित किया जाता है तो मुझे पीड़ा होती है।

जो कुछ घटित हुआ है उससे सभापति होने के नाते में स्वाभाविक रूप से और अधिक आहत हूं। मुझे सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब सभापीठ घटनाक्रम से असहाय हो जाती है और सदस्यों के खिलाफ नियमों के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है।

यह पहली बार नहीं हुआ है जब कुछ सदस्यों को निलंबित किया गया है और विधेयक तब पारित किए गए हैं जब सभा के कुछ वर्गों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। मुझे यह बेहद नागवार लगता है। इस तरह की स्थिति से हर हाल में बचने की ज़रूरत है।

लेकिन सभा के नियम अपरिहार्य होने पर, ऐसे निलंबन का उपबंध करते हैं। यदि सभा के कुछ वर्गों द्वारा बहिष्कार के दौरान विधायी कार्य नहीं किया जाता है, तो इस तरह का बहिष्कार विधान को अवरुद्ध करने के प्रभावी साधन के रूप में वैध बन सकता है।

विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे किया जाना चाहिए। यह महती सभा विचारों के प्रतिवाद के लिए सबसे प्रभावी मंच है।

लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए बहिष्कार किया जाता है, तो यह इसी मंच को त्यागने जैसा है जो आपको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और दूसरों के विचारों का विरोध करने में सक्षम बनाता है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसे ध्यान में रखें।

मैं अब विपक्ष के माननीय नेता, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा कल के हस्तक्षेप के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। उन्हें सभा में बोलते समय अपने विनम्र विचारों और भावनाओं के स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन उन्होंने इस सभा में विपक्ष के नेता के स्तर को कम किए जाने की ओर संकेत दिया। उन्होंने उस अवधि को स्पष्ट करके नहीं बताया है जब यह घटित हुआ है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण समुक्ति है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक मेरा संबंध है तो मैं इस महती सभा के सभापति के रूप में, सभा के कामकाज से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले हमेशा उनकी प्रतिक्रिया के लिए उनसे संपर्क करता हूँ।

इस विशिष्ट सत्र की योजना बनाते समय, मैंने कई बार उनसे बात की और अनेक अन्य मुद्दों पर भी ऐसा ही हुआ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में मदद मिलती है। इस सभा के व्यवस्थित रूप से कार्यकरण हेतु विपक्ष के नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनकी भूमिका को कमजोर करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

माननीय सदस्यो!

मैं माननीय सदस्यों को इस कठिन समय में सभी मुश्किलों के बावज़ूद इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मुझे आशा है कि जब आप अपने संबंधित राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में वापस लौटेंगे तो आप लोगों के परामर्श और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे जो कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने और इसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए लोगों के लिए आवश्यक है।

यह सत्र कई मामलों में अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण भी रहा है। आप सभी ने इस चुनौती का डटकर सामना किया है।

इसके बारे में पहले मेरे और माननीय लोकसभाध्यक्ष और दोनों सचिवालयों के महासचिवों और अधिकारियों के बीच व्यापक चर्चाओं के कई दौर चले थे। मैंने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर, डीआरडीओ और सीपीडब्ल्यूडी आदि के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया है।

इस महामारी के दौरान संसद सत्र आयोजित करने के लिए अग्रिम रूप से नवीन सोच और विस्तृत योजना की आवश्यकता थी। राज्यसभा के महासचिव और इस सचिवालय की उनकी टीम तथा संसद सुरक्षा सेवा, राज्य सभा टी.वी., लोकसभा टी.वी. और लोक निर्माण विभाग सहित

अन्य एजेंसियों, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, ने मुझे इस संबंध में शिकायत का अवसर नहीं दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और इन सभी लोगों द्वारा किए गए प्रयासों की अधिकारिक रूप से सराहना करता हूँ।

मैं मीडिया के सदस्यों को लोगों तक संसदीय कार्यवाही के निर्बाध प्रसारण के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस महामारी के कारण पिछले सत्र में भी कटौती की गई थी। हम अभी भी इस खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे आशा है कि जब हम अगली बार मिलेंगे, उस समय हमारे सामने वर्तमान सीमाएं और प्रतिबंध नहीं होंगे।

मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें और संपर्क में रहें। उम्मीद है हम जल्द से जल्द महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे।

माननीय सदस्यगण, आप सभी और स्वयं अपनी ओर से, मैं एक बार फिर अग्रिम पंक्ति में सभी योद्धाओं की अत्यंत सराहना करता हूँ जो यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि हम स्वस्थ रहें, जिनमें डॉक्टर, नर्स, अर्ध चिकित्सा कर्मी, सफाईकर्मी और वैज्ञानिक शामिल हैं। साथ ही, इनमें हमारे किसान जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा - आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा, दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें और हमारे देश को सुरक्षित रखने में लगी पुलिस और सशस्त्र बलों के समर्पण के प्रति हम कृतज्ञ हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं आप सभी को आगामी दशहरा, दीपावली और मिलाद-उन-नबी के त्यौहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!

(विदाई उद्‌गार व्यक्त करने के पश्चात्)

(**राष्ट्रीय गीत, वन्देमातरम् की धुन बजाई गई।**)

श्री सभापति: सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित की जाती है।